

घरेलू हिंसा के खिलाफ सामाजिक जागरूकता और कानूनी उपायों का प्रभाव

विनोद कुमार¹ एवं डॉ. परवीन कुमार चौहान²

¹ शोधार्थी, कानून-विभाग

² प्रोफेसर, कानून-विभाग

मोनाड विश्वविद्यालय, हापुर

सारांश

घरेलू हिंसा भारतीय समाज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसका प्रभाव महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ता है। घरेलू हिंसा में शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, आर्थिक नियंत्रण तथा धमकी जैसी स्थितियाँ भी सम्मिलित हो सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, परिवार एवं समुदाय का सहयोग, परामर्श, पुलिस सहायता और न्यायिक संरक्षण को एक साथ प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को संरक्षण, निवास, आर्थिक सहायता तथा अन्य राहत प्राप्त करने के लिए कानूनी मार्ग उपलब्ध कराया गया है।

मुख्य संकेतक: घरेलू हिंसा, सामाजिक जागरूकता, कानूनी उपाय, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं के अधिकार ।

परिचय

घरेलू हिंसा परिवार के भीतर होने वाली ऐसी हिंसात्मक अथवा उत्पीड़नकारी गतिविधि है जो किसी व्यक्ति, विशेषकर महिला, के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन अथवा आर्थिक अधिकारों को प्रभावित करती

है। भारतीय समाज में परिवार को सामाजिक सुरक्षा की मूल इकाई माना जाता है, किंतु जब परिवार के भीतर ही हिंसा, भय, नियंत्रण और उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तब उसका प्रभाव व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, सामाजिक सहभागिता, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

घरेलू हिंसा की समस्या केवल व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यापक सामाजिक संरचनाओं, लैंगिक असमानताओं, सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता तथा सहायता प्राप्त करने की सीमित संभावनाओं से भी जुड़ी हुई है। वर्ष 2022 में प्रकाशित एक व्यापक अध्ययन में भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित 68 अध्ययनों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में पाया गया कि घरेलू हिंसा को स्वीकार करने वाली सामाजिक मान्यताएँ हिंसा के जोखिम से संबंधित थीं और महिलाओं के सहायता प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न कर सकती थीं। इसके विपरीत महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सहयोग को सुरक्षा प्रदान करने वाले कारकों के रूप में पहचाना गया।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध सामाजिक जागरूकता का अर्थ केवल कानून की जानकारी देना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ महिलाओं और पुरुषों दोनों में समानता, सम्मान, अधिकार, सहमति, हिंसा के दुष्परिणाम और सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध साधनों के प्रति समझ विकसित करना है। जब समाज में यह समझ विकसित होती है कि घरेलू हिंसा कोई निजी पारिवारिक विषय न होकर अधिकारों का उल्लंघन है, तब पीड़ित व्यक्ति के लिए सहायता प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है।

भारत में घरेलू हिंसा की स्थिति का आकलन करने वाले वर्ष 2022 के एक अध्ययन में वर्ष 2001 से 2018 तक के राष्ट्रीय अपराध अभिलेखों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित दर्ज मामलों की दर में समय के साथ वृद्धि का उल्लेख किया गया तथा यह भी पाया गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेखों में कुछ प्रकार की घरेलू हिंसा के मामले कम दर्ज हो सकते हैं। वर्ष 2018 में संबंधित मामलों में केवल 6.8 प्रतिशत मामलों का विचारण पूरा हुआ और दोषसिद्धि 15.5 प्रतिशत मामलों में हुई। ये आँकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि कानून का अस्तित्व और उसका वास्तविक क्रियान्वयन दो अलग-अलग स्तर हैं।

घरेलू हिंसा की सामाजिक प्रकृति

घरेलू हिंसा को समझने के लिए उसके सामाजिक कारणों को समझना आवश्यक है। परिवार में पुरुष प्रधानता, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता, लैंगिक भेदभाव, दहेज संबंधी अपेक्षाएँ, शराब की समस्या, सामाजिक दबाव तथा हिंसा को सामान्य मानने वाली धारणाएँ घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे सकती हैं। कई बार पीड़ित महिलाएँ सामाजिक प्रतिष्ठा, बच्चों के भविष्य, आर्थिक असुरक्षा या परिवार टूटने के भय से हिंसा के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पातीं।

सामाजिक मान्यताएँ घरेलू हिंसा के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। यदि किसी समाज में पति द्वारा पत्नी पर नियंत्रण को सामान्य माना जाता है, तो हिंसा के अनेक रूपों को गंभीर समस्या के रूप में नहीं देखा जाता। वर्ष 2021 में किए गए सामुदायिक अध्ययन में पाया गया कि समुदाय के स्तर पर महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और घरेलू हिंसा के संबंध में नए सामाजिक विचारों का निर्माण हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया को मजबूत कर सकता है। अध्ययन में जागरूकता, घरेलू हिंसा को सामाजिक समस्या के रूप में समझना, महिलाओं के सशक्तीकरण, हिंसा के खुलासे और हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण विषयों के रूप में पहचाना गया।

सामाजिक जागरूकता का महत्व

सामाजिक जागरूकता घरेलू हिंसा की रोकथाम का एक महत्वपूर्ण साधन है। जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों, उपलब्ध सहायता सेवाओं और कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार पुरुषों और परिवार के अन्य सदस्यों में यह समझ विकसित की जा सकती है कि हिंसा किसी भी परिस्थिति में उचित पारिवारिक व्यवहार नहीं है।

जागरूकता का प्रभाव तब अधिक प्रभावी हो सकता है जब इसे विद्यालय, महाविद्यालय, ग्राम समुदाय, महिला समूह, स्वास्थ्य केंद्र, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से लगातार संचालित किया जाए। केवल एक बार आयोजित कार्यक्रम के बजाय निरंतर संवाद, प्रशिक्षण और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है।

झारखंड में महिलाओं के समूहों के माध्यम से किए गए एक सामुदायिक अध्ययन में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता से सहभागितापूर्ण सीखने और सामूहिक गतिविधियों को अपनाया गया। इसमें महिलाओं ने हिंसा के सामान्य रूपों की पहचान की, स्थानीय समाधान विकसित किए और सहायता प्राप्त करने के साधनों के बारे

में जानकारी प्राप्त की। इस प्रकार के हस्तक्षेप में परामर्श तथा कानूनी, स्वास्थ्य और पुलिस सेवाओं से संपर्क की जानकारी भी शामिल थी।

कानूनी उपायों की भूमिका

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था है। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को त्वरित संरक्षण और विभिन्न प्रकार की राहत उपलब्ध कराना है। कानून के माध्यम से पीड़ित महिला को संरक्षण आदेश, निवास संबंधी राहत, आर्थिक राहत तथा अन्य आवश्यक सहायता प्राप्त करने का मार्ग उपलब्ध होता है।

कानून की प्रभावशीलता केवल उसके अस्तित्व पर निर्भर नहीं करती। उसके सफल क्रियान्वयन के लिए पुलिस, न्यायालय, संरक्षण अधिकारी, स्वास्थ्य संस्थान, विधिक सहायता संस्थाएँ और सामाजिक संगठन मिलकर कार्य करें, यह आवश्यक है। यदि महिला को कानून की जानकारी नहीं है या उसे शिकायत दर्ज कराने तथा न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया कठिन लगती है, तो कानूनी व्यवस्था का वास्तविक लाभ सीमित हो सकता है।

वर्ष 2022 में भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित लगभग दो दशकों के अभिलेखों के अध्ययन से यह सामने आया कि दर्ज मामलों और उनके न्यायिक परिणामों के बीच पर्याप्त अंतर था। अध्ययन ने राष्ट्रीय अपराध अभिलेखों में आँकड़ों की गुणवत्ता तथा घरेलू हिंसा के मामलों की बेहतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।

कानूनी जागरूकता और महिलाओं का सशक्तीकरण

कानून की जानकारी महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है। जब महिला यह जानती है कि हिंसा के विरुद्ध शिकायत कहाँ की जा सकती है, संरक्षण कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किस प्रकार की सहायता उपलब्ध है, तो उसके लिए हिंसा के विरुद्ध कदम उठाना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है।

महिला सशक्तीकरण कानूनी जागरूकता से निकटता से जुड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला के पास हिंसात्मक संबंध से बाहर निकलने अथवा सहायता प्राप्त करने के अधिक विकल्प हो सकते हैं। वर्ष 2022 की समीक्षा में आर्थिक स्वतंत्रता और महिला सशक्तीकरण को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पहचाना गया।

इसलिए घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए महिलाओं को केवल कानून की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिक्षा, रोजगार, आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक सहयोग और आवश्यक परामर्श की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

समुदाय की भूमिका

घरेलू हिंसा के विरुद्ध समुदाय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पड़ोसी, रिश्तेदार, महिला समूह, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्थानीय संस्थाएँ हिंसा के प्रति संवेदनशील हों, तो पीड़ित महिला को समय पर सहायता प्राप्त हो सकती है। इसके विपरीत, यदि समुदाय हिंसा को पारिवारिक मामला मानकर मौन रहता है, तो पीड़िता की स्थिति और कठिन हो सकती है।

मुंबई में विकसित सामुदायिक हस्तक्षेप की रूपरेखा में सामुदायिक सहभागिता के साथ परामर्श, स्वास्थ्य सहायता, पुलिस सहायता और कानूनी सहायता को जोड़ा गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, समुदाय में हिंसा के प्रति अस्वीकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और पीड़ित महिलाओं को आवश्यक सेवाओं से जोड़ना था।

इससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए केवल परिवार या केवल न्याय व्यवस्था पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। परिवार, समुदाय, स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस और कानूनी संस्थाओं के बीच समन्वय आवश्यक है।

सामाजिक जागरूकता और सहायता प्राप्त करने का व्यवहार

घरेलू हिंसा के मामलों में सहायता प्राप्त करना स्वयं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कई महिलाएँ हिंसा के बावजूद सहायता प्राप्त करने में संकोच करती हैं। इसके पीछे सामाजिक बदनामी, परिवार का दबाव, आर्थिक निर्भरता, बच्चों की चिंता, पति या परिवार के अन्य सदस्यों का भय तथा न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में जानकारी का अभाव हो सकता है।

वर्ष 2022 के अध्ययन में पाया गया कि घरेलू हिंसा को स्वीकार करने वाली सामाजिक मान्यताएँ सहायता प्राप्त करने में बाधा बन सकती हैं। दूसरी ओर, सामाजिक सहयोग और आर्थिक स्वतंत्रता सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुगम बना सकते हैं। इसलिए सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल हिंसा

की पहचान करना नहीं होना चाहिए, बल्कि महिलाओं को सहायता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित सामाजिक वातावरण प्रदान करना भी होना चाहिए।

सामुदायिक हस्तक्षेप का प्रभाव

भारत में समुदाय-आधारित घरेलू हिंसा विरोधी हस्तक्षेपों पर किए गए व्यवस्थित अध्ययन में विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों का मूल्यांकन किया गया। समीक्षा में ऐसे अध्ययनों को सम्मिलित किया गया जिनमें समुदाय स्तर पर महिलाओं, परिवारों और अन्य सामाजिक समूहों के साथ कार्य किया गया था। परिणामों से संकेत मिला कि सामुदायिक हस्तक्षेपों में भागीदारी से महिलाओं द्वारा अनुभव की गई शारीरिक और मानसिक घरेलू हिंसा में महत्वपूर्ण कमी देखी जा सकती है। हिंसा को उचित मानने वाली धारणाओं में भी कमी पाई गई।

यह निष्कर्ष इस बात को स्पष्ट करता है कि जागरूकता केवल जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मान्यताओं और व्यवहार में परिवर्तन का माध्यम भी बन सकती है। हालांकि ऐसे हस्तक्षेपों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए अधिक दीर्घकालीन अध्ययनों की आवश्यकता बनी हुई है।

पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका

घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस और न्याय व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीड़ित महिला को शिकायत दर्ज कराने, सुरक्षा प्राप्त करने और कानूनी प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलनी चाहिए। पुलिसकर्मियों और संबंधित अधिकारियों को घरेलू हिंसा की प्रकृति, पीड़ित महिलाओं की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के संबंध में संवेदनशील और प्रशिक्षित होना आवश्यक है।

सिर्फ मामला दर्ज करना पर्याप्त नहीं है। पीड़िता की सुरक्षा, चिकित्सकीय सहायता, परामर्श, विधिक सहायता और आवश्यकतानुसार सुरक्षित निवास की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। मुंबई में समुदाय-आधारित कार्यक्रम में पुलिस, स्वास्थ्य और कानूनी सेवाओं के साथ सहयोग स्थापित किया गया था, जिससे पीड़ित महिलाओं को विभिन्न सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।

वर्ष 2022 के राष्ट्रीय अभिलेख आधारित अध्ययन में न्यायिक परिणामों में सीमाओं का उल्लेख किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिकायत से लेकर न्यायिक परिणाम तक पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं की भूमिका

घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल सामाजिक और कानूनी नहीं होता, बल्कि यह महिला के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य संस्थानों को घरेलू हिंसा की पहचान और सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। चिकित्सक, परिचारिका तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यदि हिंसा के संकेतों को पहचानने और उचित सहायता केंद्रों तक पहुँचाने में सक्षम हों, तो पीड़ित महिलाओं को समय पर सहायता मिल सकती है।

भारत में सामुदायिक हस्तक्षेपों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कानूनी, स्वास्थ्य और पुलिस सेवाओं के संबंध में जानकारी देकर महिलाओं को सहायता व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है।

आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व

आर्थिक निर्भरता घरेलू हिंसा से बाहर निकलने में एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकती है। यदि महिला पूरी तरह पति अथवा परिवार की आय पर निर्भर है, तो हिंसा के विरुद्ध शिकायत करने या अलग रहने का निर्णय उसके लिए कठिन हो सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता महिला को निर्णय लेने की क्षमता और जीवन में वैकल्पिक विकल्प प्रदान कर सकती है।

वर्ष 2022 की समीक्षा में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने वाले कारकों में शामिल किया गया। इसलिए घरेलू हिंसा की रोकथाम के कार्यक्रमों में कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार तथा आर्थिक सहायता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

शिक्षा और जागरूकता का संबंध

शिक्षा सामाजिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षित महिला अपने अधिकारों, उपलब्ध सेवाओं और कानूनी उपायों को समझने में अधिक सक्षम हो सकती है। शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर लैंगिक समानता, सम्मानजनक व्यवहार, अधिकारों और हिंसा के दुष्परिणामों के संबंध में शिक्षा दी जा सकती है।

इसी प्रकार पुरुषों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा की रोकथाम के प्रयासों में सम्मिलित करना आवश्यक है। यदि केवल महिलाओं को जागरूक किया जाएगा और पुरुषों तथा समुदाय की सामाजिक मान्यताओं में परिवर्तन का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो व्यापक सामाजिक परिवर्तन सीमित रह सकता है।

घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता

घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रमों को ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर संचालित किया जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर महिला समूह, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, विद्यालय, पंचायत और स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। शहरी क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक संगठन जागरूकता के माध्यम बन सकते हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों, महिलाओं के अधिकारों, कानूनी सहायता, परामर्श सेवाओं, पुलिस सहायता तथा उपलब्ध सामाजिक सेवाओं की जानकारी सरल भाषा में दी जानी चाहिए। कार्यक्रमों में वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर चर्चा, सामूहिक संवाद और समस्या समाधान की गतिविधियों को सम्मिलित करना अधिक उपयोगी हो सकता है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा के खिलाफ सामाजिक जागरूकता और कानूनी उपाय एक-दूसरे के पूरक हैं। कानूनी उपाय महिलाओं को अधिकार, संरक्षण और न्याय प्राप्त करने का औपचारिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि सामाजिक जागरूकता हिंसा को स्वीकार करने वाली धारणाओं और सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायता करती है। उपलब्ध शोध से यह स्पष्ट होता है कि महिला सशक्तीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सहयोग, सामुदायिक सहभागिता, परामर्श तथा पुलिस और कानूनी सेवाओं तक पहुँच घरेलू हिंसा की रोकथाम और सहायता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अतः घरेलू हिंसा के प्रभावी नियंत्रण के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण आवश्यक है। परिवार में सम्मान और समानता की भावना विकसित की जानी चाहिए, विद्यालयों में लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा दी जानी चाहिए, महिलाओं को कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, समुदाय को हिंसा के विरुद्ध सक्रिय बनाया जाना चाहिए तथा पुलिस, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही घरेलू हिंसा से संबंधित आँकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करना भी आवश्यक है, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों का अधिक प्रभावी निर्माण किया जा सके।

इस प्रकार सामाजिक जागरूकता, कानूनी संरक्षण, महिला सशक्तीकरण और सामुदायिक सहयोग को एकीकृत करके घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिक प्रभावी सामाजिक वातावरण निर्मित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. दंडसोना, राखी, गुप्ता, अर्धिता, जॉर्ज, सिबिन, किशन, सोम्य, एवं कुमार, जी. अनिल। (2022). भारतीय महिलाओं में घरेलू हिंसा: लगभग दो दशकों की निगरानी आँकड़ों से प्राप्त निष्कर्ष। महिला स्वास्थ्य पत्रिका, 22, 128.
2. साबरी, बुशरा एवं सहयोगी। (2022). भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा: घरेलू हिंसा से संबंधित उपकरण और सहायक उपकरण तक पहुंच का विश्लेषण। महिला स्वास्थ्य एवं सामाजिक अध्ययन।
3. माधिवानिन, अरुलमोझी एवं डोंगरे, अमोल। (2022). घरेलू हिंसा के खिलाफ वेद महिलाओं को कैसे कम किया जाए? ग्रामीण से मिश्रित विधि का अध्ययन। हिंसा एवं सहयोगी एसोसिएटेड रिसर्च पत्रिका, 14(1), 11-19।
4. मेनन, सुवर्णा और ऐलन, निकोला। (2021). भारत में घरेलू हिंसा के मनोवैज्ञानिक संगठन और वैकल्पिक सामाजिक कहानियाँ। मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान का अमेरिकी पत्र, 67(1-2), 184-194।
5. भारत के पूर्वी क्षेत्र में महिलाओं और मित्रों के बीच हिंसा की रोकथाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। (2020)। महिलाओं के मनोविज्ञान और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के माध्यम से कोचिंग और अध्ययन का अध्ययन।
6. मुंबई में महिलाओं और दोस्तों के बीच हुई हिंसा को रोकने के लिए बदलाव की अपील की गई। (2019). मनोवैज्ञानिक, परामर्श, स्वास्थ्य, पुलिस और कानूनी सहायता के मॉडल का अध्ययन।
7. भारत में समुदाय-आधारित निकट-साहित्यिक हिंसा, हस्तक्षेपों की स्थापना, पुनलोकरावण और समग्र विश्लेषण। (2022 तक के आतिशबाजी पर आधारित)। समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों और घरेलू हिंसा में कमी के संबंध का विश्लेषण।